न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1199—एक/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—03—2002 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 73/2001—2002/निगरानी

.....

मंगलिया पुत्र खुमना कुशवाह
निवासी—ग्राम निजामपुर तहसील नरवर
जिला—शिवपुरी

..... आवेदक

विरूद्ध

अतर सिंह पुत्र हरदेवा कुशवाह
निवासी—ग्राम निजामपुर तहसील नरवर
जिला—शिवपुरी

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 20-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 73/2001—2002/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—03—2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक मंगलिया द्वारा तहसीलदार नरवर के समक्ष ग्राम निजामपुर स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1054 रकबा 0.18 का व्यवस्थापन स्वयं के नाम से खाते में किये जाने की मांग की है । तहसील न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये दिनांक 27.05.92 को व्यवस्थापन का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अनावेदक अतरसिंह ने निगरानी का आवेदन अपर कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया जो

प्रकरण क्रमांक 234/97–98/निग0 में पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 18.03.1999 निगरानी स्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। न्यायालय अपर आयुक्त के न्यायालय में विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये प्रकरण क्रमांक 73/2001–02/निगरानी दर्ज किया गया और दिनांक 26.03.2002 को निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26.03.02 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात आवेदक के हित में भूमि सर्वे क्रमांक 1054 क्षेत्रफल 0.18 हे0 का व्यवस्थापन किया गया था । उक्त भूमि पर आवेदक का लगभग 20 वर्ष पूर्व निरन्तर वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा है । ऐसे में आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है । यदि तहसील न्यायालय की कार्यवाही में कोई तकनीकी कमी थी तो प्रकरण उचित निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था । अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक ने तहसील आदेश दिनांक 27.05.92 के लगभग 6 वर्ष पश्चात पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जो समयवाधित होने से ग्राह्य किये जाने योग्य ही नहीं था । तर्क में उन्होंने यह भी बताया है कि अपर कलेक्टर ने आवेदक के हित में किये गये व्यवस्थापन को राजस्व पुरस्त परिपत्र के अन्तर्गत किया गया होना मान्य कर आदेश पारित किया जो शून्यवत है, क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं था तथा अपर कलेक्टर को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका सुनने का विचाराधिकार प्राप्त नहीं है । ऐसे आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । क्योंकि अनावेदक को पुनरीक्षण करने का अधिकार ही नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । प्रस्तुत निगरानी मान्य की जाये ।

3/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है और प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किये जाने हेतु रखा गया है ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। अभिलेख से प्रकट होता है कि आवेदक मंगलिया स्वयं अपने आवेदन में वर्ष 87–88 से कब्जा होना बताया है, जबकि तहसीलदार ने वर्ष 83–84 के

पूर्व से कब्जा होना बताया है । प्रकाध्स में न तो इस्तहार जारी किया गया है और न ही पंचायत से अभिमत लिया गया । प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट भी नहीं ली गई है, जबकि आदेश में पटवारी रिपोर्ट का उल्लेख है, न तो आवेदक के स्वयं कथन व साक्ष्य के कथन लिये है और न ही पटवारी के कोई कथन अंकित किये गये है । यहॉ कि कि जो आदेश पारित किया है, उसमें प्रकरण क्रमांक भी अंकित नहीं है । जिससे प्रकरण संदेहास्पद हो जाता है । किस ग्राम की भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, कतई उल्लेख नहीं है । अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र कंडिका चार (3) के तहत आदेश पारित किया गया है, किन्तु राजस्व पुस्तक परिपत्र कंडिका चार (3) के किसी भी प्रावधान का कोई पालन किया जाना प्रमाणित नहीं है, ऐसे आदेश असित्वहीन व क्षेत्राधिकारविहीन, अवैध होकर शून्य है, ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करके उचित निर्णय लिया है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा लिया गया निर्णय भी उचित है ।

5/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर